झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

सं0सं0–04/आ0–20/2021/...2658.../ **राँची, दिनांक–**...22.11.2022...

झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री बृजमोहन कुमार, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर एल.पी.ए. सं0–643/2018 मनोज कुमार सिंह–बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में प्रतिशपथ–पत्र दायर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन के आलोक में गलत सूचना उपलब्ध कराकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं असंवेदनशीलता बरतने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–03(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं।

अतः प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री बृजमोहन कुमार के विरूद्ध झारखंड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम–43 (क), (ख) एवं 139 (ग) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–8054 दिनांक–24.11.2021 के आलोक में इस विभाग के लिए नामित जाँच पदाधिकारी श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को संचालन –सह– जाँच पदाधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/ उपस्थापन पदाधिकारी/ आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगें।

12-12-22

कृ0पृ0उ0

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में प्राप्त अन्य प्रतिवेदन/ परिवाद पत्र भी आरोप के तहत् स्वीकार्य होंगें।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

17.11.22
(कुमुद सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2658/ राँची, दिनांक–22-11-2022

प्रतिलिपि :– विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई० पोर्टल को सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2658/ राँची, दिनांक–22-11-2022

प्रतिलिपिः– श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त, भा०प्र०से०) संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, नगर प्रशासनिक भवन, एच०इ०सी० गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, राँची/ उपस्थापन पदाधिकारी– श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची एवं श्री बृजमोहन कुमार, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता– CD-776, सेक्टर–2, साईट–5, पो०– धुर्वा, राँची– 834004 एवं स्थायी पता– ग्राम– सकड्डी, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर, बिहार– 802160 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2658/ राँची, दिनांक–22.11.2022

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।